

गेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु कौशल सुधार योजना (टी०एस०पी०) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू० 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत योजना में एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

4. उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या : यू०ओ० 346 (1)/26-ब०प्र०-2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- (1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- (4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
- (6) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,



(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव




19/4/11

शासनादेश संख्या-यूओओ 346/26-बोप्र0-2011-149(खबो)/07 दिनांक 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011-12 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टीओएसपीओ) हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय स्वीकृति (एनएचआर/एनएचए) (के)

क्रमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख रु० में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	0.25	25
2.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	0.25	25
	योग	5000	50

(कुल पचास हजार मात्र)

(उभा शर्मा (सई))

अनु सचिव

५